सं. 26-22/2019-डीडी– III

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,

5वां तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003

दिनांकः 10.02.2021

परिपत्र

विषयः - स्वपरायणता (ऑटिज्म), प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास के चेयरपर्सन की नियुक्ति के संबंध में।

स्वपरायणता (ऑटिज्म), प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन स्वपरायणता (ऑटिज़्म), प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (यहां इसके बाद, "अधिनियम") कीधारा3 (1) के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रीय न्यास के 22 सदस्य हैं और चेयरपर्सन द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है।

2. अधिनियम की धारा 10 में दिए गए अनुसार न्यास के उद्देश्य निम्नानुसार हैंः

i. दिव्यांगजनोंको स्वतंत्र रूप से जीवनयापन करने और यथासंभव उन्हें अपने समुदाय में और उसके समीप जीवन जीने के लिए सक्षम और सशक्त बनाना;
ii. दिव्यांगजनोंको अपने परिवार के भीतर जीविका अर्जनकेलिए सहायता प्रदान करने हेतु सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना;
iii. दिव्यांगजनों के परिवारों को संकट के समय आवश्यकता आधारित सेवा प्रदान करने हेतु पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करना;
iv. उन दिव्यांगजनों जिनको परिवार का सहयोग प्राप्त नहीं है, की समस्याओं पर कार्रवाईकरना;
v. दिव्यांगजनों के अभिभावकों अथवा संरक्षकों की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल और संरक्षण के लिए उपायों को बढ़ावा देना।
vi. इस प्रकार के संरक्षण की अपेक्षा करने वाले दिव्यांगजनों के लिए संरक्षकों और न्यासियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया तैयार करना।
vii. दिव्यांगजनों हेतु समान अवसरों, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी कोसुगम और साकार बनाना; और
viii. ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो पूर्वोक्त उद्देश्यों के आनुषंगिक हो।

3. चेयरपर्सन, राष्ट्रीय न्यास के अधिकार और कर्त्तव्यः समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय न्यास नियमों के अनुसार।

4. अधिनियम की धारा 32 के अनुसार, न्यास के सभी सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य करते समय अथवा कथित कार्य करने केउद्देश्य से भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ मेंलोक सेवक माना जायेगा।

5. **अधिनियम की धारा 4 के अनुसार नियुक्ति की अवधिः** नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष।

6. **चेयरपर्सन का वेतन एवं भत्ताः-** राष्ट्रीय न्यास नियम 2000 के नियम 4 और 5 के तहत, चेयरपर्सन का वेतन भारत सरकार के सचिव के मूल वेतन के बराबर होगा। महंगाई भत्ते, और अन्य भत्तों का भुगतान भारत सरकार के सचिव के लिए लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा। परन्तु जहां चेयरपर्सन केंद्र सरकारअथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या अर्ध-सरकारी निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या अन्य स्वायत्त या वैधानिक निकाय से सेवानिवृत्त व्यक्ति हो, तो उसके द्वारा प्राप्त पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभों का पेंशनभोगी मूल्य अथवा दोनों के साथ संदेय वेतन भारत सरकार के सचिव के मूल वेतन से अधिक नहीं होगा।

7. **आयु सीमाः** आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तारीख को आवेदक 62 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

8. **पात्रताः**

8.1 अधिनियम की धारा 3 (4) (क) के अनुसार, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाला चेयरपर्सन, स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगताओं के क्षेत्र में विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से होगा।

8.2 **शैक्षिक अर्हताएं और अनुभवः-**

बोर्ड के चेयरपर्सन के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभवः – बोर्ड के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास निम्नलिखित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं और अनुभवहोने चाहिए, अर्थात्ः –

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्रीः
परंतु ऐसे व्यक्ति को अधिमानता दी जाएगी–

(क) जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से, दिव्यांगता या समुदाय आधारित दिव्यांगता पुनर्वास, जिसके अंतर्गत स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता, और बहु-दिव्यांगताएं भी है, के एक या अधिक क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री या ऐसे क्षेत्रों

में ऐसी समतुल्य योग्यता हो, जो भारत के पुनर्वास परिषद् से मान्यताप्राप्त है और जो भारत के पुनर्वास परिषद के पास कार्मिक या व्यावसायिक के रूप में पंजीकृत हो; या

(ख) जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ दिव्यांगता या समुदाय आधारित दिव्यांगता पुनर्वास, जिसके अंतर्गत स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगता भी है, के एक या अधिक क्षेत्रों में डिप्लोमा या डिग्री या ऐसे क्षेत्रों में ऐसी समतुल्य योग्यता हो, जो भारत के पुनर्वास परिषद् से मान्यताप्राप्त है और जो भारत के पुनर्वास परिषद के पास कार्मिक या व्यावसायिक के रूप में पंजीकृत हो; और

(ग) जिसके अनुसंधान पत्र किसी ख्याति प्राप्त व्यावसायिक जर्नल में प्रकाशित हुए हों; और

(ii) जिसे दिव्यांगता सेक्टर में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो, जिसमें स्वपरायणता या प्रमस्तिष्क घात या मानसिक मंदता या बहु–दिव्यांगताओं के क्षेत्र में न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव होना चाहिए; और

(iii) किसी गैर–सरकारी संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चेयरपर्सन या प्रधान (प्रेसीडेंट) या महासचिव के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए; जिन्होंने स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता या बहु–दिव्यांगता के क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष की सेवा प्रदान की हैः

9. आवेदन की प्रक्रियाः-

(i) उपर्युक्त पैरा 7 और 8 में उल्लिखित पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले उम्मीदवाररोजगार समाचार पत्र में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र, सुश्री मीना कुमारीशर्मा, उप सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कमरा सं. 3, बी–I5वां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 को भेज सकते हैं। आवेदन पत्र इस वेबसाइटः www.disabilityaffairs.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

(ii) वे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले से ही इस विभाग के दिनांक 08.10.2020 के उसपरिपत्र के माध्यम से आवेदन किया है, जिसे विभिन्न समाचार पत्रों में दिनांक 04.12.2020 को प्रकाशित किया गया था और दिनांक 12.12.2020 को भी रोजगार समाचार में भी प्रकाशित किया गया था, को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

*****